Phone & Fax- 0135-2530487, 2530431

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग
"व्यवस्थापन 'घ' वर्ग" उत्तराखण्ड देहरादून
OFFICE OF THE ENGINEER IN CHIEF, P.W.D., DEHRADUN, UTTARAKHAND
Website-http://pwd.uk.gov.in E-Mail-cepwdua@gmail.com

पत्रांक:- 231 /61 व्यघ-सामान्य/26 दिनांक 17/03/2026

कार्यालय ज्ञाप

माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल में दायर रिट याचिका संख्या 511/एस0एस0/2026 बिरेन्द्र कुमार बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य मे मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल द्वारा दिनांक 20.02.2026 को निम्न अन्तरिम आदेश पारित किये गये है:-

"In the meantime, it is provided that the services of the petitioner as a Junior Engineer shall not be disengaged till the regularly selected candidates are available with the respondent-Department and also to pay remuneration to the petitioner regularly as admissible under law."

मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल द्वारा पारित उक्त आदेश दिनांक 20.02.2026 एवं शासकीय पत्र संख्या 370776/II(1)/26-98926 दिनांक 13.02.2026 के अनुपालन में विभागाध्यक्ष कार्यालय के ज्ञाप संख्या 216/196 व्यघ-सामान्य/17 दिनांक 10.03.2025 एवं ज्ञाप संख्या 226/196 व्यघ-सामान्य/17 दिनांक 17.03.2025 द्वारा कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) संविदा के रूप में आबद्ध 77 कार्मिकों में से उपरोक्त याचीगण जिसका क्रमांक 14 पर नाम अंकित है, को मा0 उच्च न्यायालय पारित अन्तरिम आदेशों के क्रम में लोक सेवा आयोग के माध्यम से कनिष्ठ अभियन्ताओं के नियमित चयन अथवा उपरोक्त रिट याचिका में मा0 उच्च न्यायालय के अन्तिम निर्णय, जो भी पहले हो, तक संविदा विस्तारित किये जाने के आदेश एतद्द्वारा पारित किये जाते हैं:-

क0 सं0	नाम	पिता का नाम	जन्मतिथि	मा0 न्यायालय में दायर रिट याचिका	तैनाती कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6
1	श्री बिरेन्द्र कुमार	श्री जीवन लाल	11.10.84	रिट याचिका संख्या-511/एस0एस0/2026 बिरेन्द्र कुमार बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य	अस्थाई खण्ड, भवाली

ह0-
(राजेश चन्द्र)
प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष

प्रतिलिपि सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून को मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल द्वारा पारित उक्त आदेशों के अनुपालन में इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि प्रकरण पर शासन स्तर से अनुमोदन प्रदान करने की कृपा करें।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को (**ई-मेल द्वारा**) उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता, उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग।
2. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग।
3. सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग।

प्रतिलिपि अधिशासी अभियन्ता (विधि प्रकोष्ठ) विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि अधिशासी अभियन्ता (आई0टी0), विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त पत्र को विभागीय वैबसाईट में अपलोड करना सुनिश्चित् करवायें।

प्रतिलिपि वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, विधि प्रकोष्ठ वर्ग, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि सम्बन्धित कनिष्ठ अभियन्ता (संविदा)।

17/3

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष

प्रतिलिपि अधिशासी अभियन्ता (आई0टी0), विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त पत्र को विभागीय वैबसाईट में अपलोड करना सुनिश्चित करवायें।

प्रतिलिपि वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, विधि प्रकोष्ठ वर्ग, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि सम्बन्धित कनिष्ठ अभियन्ता (संविदा)।

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष

Phone & Fax– 0135–2530467, 2530431

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग
"व्यवस्थापन 'घ' वर्ग" उत्तराखण्ड देहरादून
OFFICE OF THE ENGINEER IN CHIEF, P.W.D., DEHRADUN, UTTARAKHAND
Website-http://pwd.uk.gov.in E-Mail-cepwdua@gmail.com

पत्रांकः– 229 /61 व्यघ–सामान्य/26 दिनांक 17/03/2026

कार्यालय ज्ञाप

माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल के समक्ष निम्न रिट याचिकाएं दायर की गयी हैः–

1. **Writ Petition No. 492 of 2026 (S/S) Prem Chandra Vs. State of Uttarakhand and others.**
2. **Writ Petition No. 493 of 2026 (S/S) Mohit Mishra Vs. State of Uttarakhand and others.**

उपरोक्त रिट याचिकाओं में मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल द्वारा दिनांक 19.02.2026 को निम्न अन्तरिम आदेश पारित किये गये हैः–

"Till further orders, petitioner(s) shall not be discontinued from service and he shall be permitted to serve as before and shall be paid remuneration; however, this interim order will not come in the way of joining of the regularly selected candidate."

मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल द्वारा पारित उक्त आदेश दिनांक 19.02.2026 एवं शासकीय पत्र संख्या 370776/III(1)/26–98926 दिनांक 13.02.2026 के अनुपालन में विभागाध्यक्ष कार्यालय के ज्ञाप संख्या 216/196 व्यघ–सामान्य/17 दिनांक 10.03.2025 एवं ज्ञाप संख्या 226/196 व्यघ–सामान्य/17 दिनांक 17.03.2025 द्वारा कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) संविदा के रूप में आबद्ध 77 कार्मिकों में से उपरोक्त याचीगण जिनका क्रमांक 76 एवं 75 पर नाम अंकित है, को मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित अन्तरिम आदेशों के क्रम में लोक सेवा आयोग के माध्यम से कनिष्ठ अभियन्ताओं के नियमित चयन अथवा उपरोक्त रिट याचिकाओं में मा0 उच्च न्यायालय के अन्तिम निर्णय, जो भी पहले हो, तक संविदा विस्तारित किये जाने के आदेश एतद्द्वारा पारित किये जाते हैः–

क0 सं0	नाम	पिता का नाम	जन्मतिथि	मा0 न्यायालय में दायर रिट याचिका	तैनाती कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6
1	श्री प्रेम चन्द	श्री राधाकृष्ण पंत	07.03.82	रिट याचिका संख्या–492/एस0एस0/2026 प्रेम चन्द बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य	निर्माण खण्ड, गौचर
2	श्री मोहित मिश्रा	श्री राम चन्द्र मिश्रा	18.06.91	रिट याचिका संख्या–493/एस0एस0/2026 मोहित मिश्रा बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य	निर्माण खण्ड, पोखरी

(राजेश चन्द्र)
प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष

प्रतिलिपि सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून को मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल द्वारा पारित उक्त आदेशों के अनुपालन में इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि प्रकरण पर शासन स्तर से अनुमोदन प्रदान करने की कृपा करें।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को (**ई–मेल द्वारा**) उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता, उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग।
2. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग।
3. सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग।

प्रतिलिपि अधिशासी अभियन्ता (विधि प्रकोष्ठ) विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

शेष पृष्ठ–02 पर

प्रतिलिपि अधिशासी अभियन्ता (आई0टी0), विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त पत्र को विभागीय वैबसाईट में अपलोड करना सुनिश्चित करवायें।

प्रतिलिपि वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, विधि प्रकोष्ठ वर्ग, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि सम्बन्धित कनिष्ठ अभियन्ता (संविदा)।

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष

Phone & Fax– 0135–2530467, 2530431
कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग
"व्यवस्थापन 'घ' वर्ग" उत्तराखण्ड देहरादून
OFFICE OF THE ENGINEER IN CHIEF, P.W.D., DEHRADUN, UTTARAKHAND
Website-http://pwd.uk.gov.in E-Mail-cepwdua@gmail.com

पत्रांकः–230 /61 व्यघ–सामान्य/26 दिनांक 17/03/2026

कार्यालय ज्ञाप

माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल के समक्ष निम्न रिट याचिकाऐं दायर की गयी हैं:–

1. **Writ Petition No. 532 of 2026 (S/S) Sirazuddin Vs. State of Uttarakhand and others.**
2. **Writ Petition No. 541 of 2026 (S/S) Satish Kumar Vs. State of Uttarakhand and others.**

उपरोक्त रिट याचिकाओं में मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल द्वारा दिनांक 23.02.2026 को निम्न अन्तरिम आदेश पारित किये गये हैः–

"Till further orders, petitioner shall not be discontinued from service and they shall be permitted to serve as before and shall be paid remuneration. This interim order shall last only till completion of the ongoing selection process."

मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल द्वारा पारित उक्त आदेश दिनांक 23.02.2026 एवं शासकीय पत्र संख्या 370776/III(1)/26–98926 दिनांक 13.02.2026 के अनुपालन में विभागाध्यक्ष कार्यालय के ज्ञाप संख्या 216/196 व्यघ–सामान्य/17 दिनांक 10.03.2025 एवं ज्ञाप संख्या 226/196 व्यघ–सामान्य/17 दिनांक 17.03.2025 द्वारा कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) संविदा के रूप में आबद्ध 77 कार्मिकों में से उपरोक्त याचीगण जिसका क्रमांक 35 एवं 19 पर नाम अंकित हैं, को मा0 उच्च न्यायालय पारित अन्तरिम आदेशों के क्रम में लोक सेवा आयोग के माध्यम से कनिष्ठ अभियन्ताओं के नियमित चयन अथवा उपरोक्त रिट याचिका में मा0 उच्च न्यायालय के अन्तिम निर्णय, जो भी पहले हो, तक संविदा विस्तारित किये जाने के आदेश एतद्द्वारा पारित किये जाते हैं:–

क्र0 सं0	नाम	पिता का नाम	जन्मतिथि	मा0 न्यायालय में दायर रिट याचिका	तैनाती कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6
1	मो0 सिराजुद्दीन	श्री हबीब अहमद	17.06.88	रिट याचिका संख्या–532/एस0एस0/2026 मो0 सिराजुद्दीन बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य	निर्माण खण्ड, नैनीताल
2	श्री सतीश कुमार	श्री देव राम	11.11.87	रिट याचिका संख्या–541/एस0एस0/2026 सतीश कुमार बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य	निर्माण खण्ड, लोहाघाट

ह0–
(राजेश चन्द्र)
प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष

प्रतिलिपि सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून को मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल द्वारा पारित उक्त आदेशों के अनुपालन में इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि प्रकरण पर शासन स्तर से अनुमोदन प्रदान करने की कृपा करें।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को (**ई–मेल द्वारा**) उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता, उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग।
2. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग।
3. सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग।

प्रतिलिपि अधिशासी अभियन्ता (विधि प्रकोष्ठ) विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

शेष पृष्ठ–02 पर

प्रतिलिपि अधिशासी अभियन्ता (विधि प्रकोष्ठ) विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि अधिशासी अभियन्ता (आई0टी0), विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त पत्र को विभागीय वैबसाईट में अपलोड करना सुनिश्चित् करवायें।

प्रतिलिपि वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, विधि प्रकोष्ठ वर्ग, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि सम्बन्धित कनिष्ठ अभियन्ता (संविदा)।

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष